संख्या-33/2020/1698210/12-5/21/2021

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 20 जुलाई, 2021

विषयः- कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के अन्तर्गत मानक मद संख्या-06 अन्य भत्ता में प्राविधान न होने के कारण अतिरिक्त धनराशि रू.0.20 लाख की पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-476/2021-22/लेखा/कृ0सु0, दिनांक 28-06-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के मानक मद 06-अन्य भत्ता में रू.0.20 लाख (रूपया बीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों/योजना की गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4- पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत की मदों में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

7- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।

8- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

9- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के मानक मद 06-अन्य भत्ता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश] प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)] प्रथम/द्वितीय] उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।

8- गार्ड फाइल।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1716220/2021/ (-)-1

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ वित्त मैनुअल का पैरा-158)

(इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे दिये गये निर्देशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य संबंधित विभाग (कृषि)

प्रपत्र बी0एम0-9

वित्तीय वर्ष 2021-22

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित लिटियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देते के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-11 24010011030001 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 03-कृषि आंकड़ों के सुधार हेतु योजना					
01 वेतन	1265.41	0.20	0.20	0.20	1265.21
योग	1265.41	0.20	0.20	0.20	1265.21

निम्नलिखित लिटियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8-11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-11 24010011030006 2401-फसल कृषि कर्म,-आयोजनेतर 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 03 कृषि आंकड़ों में सुधार योजना					
36 अन्य व्यय	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20
योग	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20

(रु. तीस हजार मात्र)

1-स्तम्भ-2 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-5 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है-
(वास्तविक मॉग के आधार पर बचत है।

2 स्तम्भ-6 में दर्शाये गये उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में यथार्थिक आवश्यकता के कारण अनुदान की आवश्यकता है

3 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश वित्त नियमावली के प्रभाग सं-150 व 151 में निर्धारित प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ए0- -1- -एम-2020, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव
300D शासन

(एल चन्द यादव)
अनु सचिव
वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

716220/2021/ (-)-1

संख्या-1900210912-9/21/2021 वित्तीय/अंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) एकल/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ-समस्त कोषाधिकारी/उपनिदेशक कोषागार, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एस0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।